न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 80 / 2021

हुकमसिंह पुत्र किरोडीलाल गांव चौकीपुरा पोस्ट बावैन जिला भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार, तहसील कुम्हेर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 20.10.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हुकमसिंह पुत्र किरोडीलाल गांव चौकीपुरा पोस्ट बावैन जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार कुम्हेर से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 618 दिनांक 29.09.2021 के द्वारा तहसीलदार कुम्हेर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार कुम्हेर से पत्र कमांक / 8024 दिनांक 20.10.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं तहसीलदार कुम्हेर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार कुम्हेर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 8024 दिनांक 20.10.2021 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुम्हेर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को प्रेषित पत्र कमांक भू0अ0 / आरटीआई / 21 / 7977 दिनांक 14.10.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार कुम्हेर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर